आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या –02 / 2022

बजरंग पासवान

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
11.05.2023	यह वाद समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–09 / 2019–20 में दिनांक–08.10.2021 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का सारांश यह है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुढ़नी द्वारा दिनांक 27.09.2017 को पुनरीक्षणकर्ता के दुकान की जाँच की गई और जाँच प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर को समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 1191 दिनांक 16.10.2017 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता से निम्न अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी :– (i) जाँच के क्रम में विक्रेता की दूकान बंद पाई गई तथा विक्रेता अनुपस्थित पाये गये। (ii) दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य–सह–भंडार प्रर्दशन पट्ट नहीं पाया गया। (iii) विक्रेता के संबंध में पूछे जाने पर विक्रेता के पुत्र द्वारा बताया गया कि विक्रेता विंध्याचल गये है। तत्पश्चात् अवलोकन हेतु पंजियो की मांग किये जाने पर विक्रेता के	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुत्र द्वारा पंजियों का अवलोकन नहीं कराया गया। परन्तु उनके द्वारा दूकान के भंडार का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें 77 क्विंटल चावल, 50 क्विंटल गेहूँ एवं 420 लीटर किरासन तेल पाया गया।

(iv) दूकान से संबद्ध उपभोक्ता श्री कमल राम, पिता–स्व0 गणेश राम द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विगत 03 वर्षो से खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति नही की जाती है।

(v) उपभोक्ता श्री सुरेश साह एवं सुरेश पासवान द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा वर्ष में 08 माह का ही राशन दिया जाता तथा मु0 उषा देवी, पति–अशोक राम द्वारा बताया गया कि 25 किलोग्राम राशन के बदले 20 किलोग्राम ही दिया जाता है।

(vi) इसके साथ ही जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता के द्वारा दिनांक–22.09.2017 को राशन का उठाव किये जाने के बावजूद उपभोक्ताओं के बीच वितरण प्रारम्भ नहीं किया गया है, जो विक्रेता द्वारा व्यापक पैमाने पर गड़बडी की मंशा को परिलक्षित करता है।

पुनरीक्षणकर्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी । साथ ही विक्रेता से अपने जवाब के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। परन्तु उक्त पत्र का तामिला करने के बावजूद विक्रेता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि राज्य खाद्य निगम के गोदाम से डोर–स्टेप डिलेवरी के तहत माह अप्रैल–2019 का खाद्यान्न प्राप्त कर लिये जाने के बावजूद विक्रेता द्वारा दिनांक–30.04.2019 तक वितरण नहीं किया गया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा की मांग की गयी परन्तु तामिला के बावजूद विक्रेता द्वारा जवाब समर्पित नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा प्रस्तुत वितरण पंजी के अवलोकन में पाया गया कि कई उपभोक्ताओं का खाद्यान्न एक ही व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया गया है तथा पंजी के कई कॉलम में उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर/निशान नहीं है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

विक्रेता द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 604 दिनांक 10.05.2019 द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उक्त के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में वाद सं0–09/2019–20 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 08.10.2021 को आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। समाहर्त्ता के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–

(i) पुनरीक्षणकर्ता को बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराये स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता के कारण–पृच्छा के जवाब पर विचार किये बिना अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम, मुजफ्फरपुर द्वारा आदेश पारित कर दिया गया।

(iii) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खाद्यान्न का वितरण प्रति माह किया जाता है।

(iv) पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जाँच की तिथि दिनांक–27.09.2017 को निर्धारित समय पर दूकान खोली गई। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मौखिक निदेश दिया गया था कि उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को उपभोक्ताओं के आधार नंबर से लिंक करना है, जिसके आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 10:00 बजे पूर्वाह्न में दूकान बंद कर उपभोक्ताओं का आधार नंबर लेने हेतु प्रस्थान किया गया। इस आशय की सूचना सूचनापट्ट पर अंकित कर दिया गया था।

(v) सभी पंजियां बक्से में बंद थी, जिसकी चाभी पुनरीक्षणकर्ता के पुत्र के पास नहीं थी, जिसके कारण पंजियों का अवलोकन नहीं कराया जा सका।

(vi) श्री कमल राम को आवश्यक सामानों की आपूर्ति

WEB COPY NOT OFFICIAL

प्रत्येक माह नियमानुकूल की गयी। इस आशय का प्रमाण–पत्र मुखिया द्वारा दिया गया । पुनरीक्षणकर्ता की पुत्र–वधु गर्भवती थी, पेट में इन्फेक्शन के कारण बच्चा मर गया। इस विकट परिस्थिति के कारण पुनरीक्षणकर्ता द्वितीय एवं तृतीय कारण–पृच्छा का जवाब देने में असमर्थ थे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि विक्रेता पर दूकान बंद रखने, सूचनापट्ट एवं मूल्य–सह–भंडार प्रर्दशन पट्ट नहीं रखने, खाद्यान्न का आपूर्ति नहीं करने आदि का गंभीर आरोप है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के कारण–पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया। पुनरीक्षणकर्ता के कथनानुसार यदि चुनाव के कारण कार्यालय बंद था तो डाक के माध्यम से स्पष्टीकरण क्यों नहीं भेजे? स्पष्टीकरण संबंधी पत्र का तामिला कर लेने के बावजूद अपने बचाव में जवाब समर्पित नहीं करना उनके उपर लगाये गये आरोप की स्वीकारोक्ति है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है। अतएव पुनरीक्षणकर्ता का यह वाद खारिज होने योग्य है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(i) प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विक्रेता के दुकान के जाँच के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में वाद सं0–09/2019–20 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 08.10.2021 को मुखर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

(ii) पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि जाँच प्रतिवेदन की प्रति विक्रेता को नहीं दी गयी, के संबंध में कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी के ज्ञापांक 1191 दिनांक 16.10.2017 द्वारा विक्रेता से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसके अनुलग्नक में जाँच प्रतिवेदन अंकित है। साथ ही स्पष्टीकरण में भी जाँच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है, जिसका जवाब भी विक्रेता द्वारा दिया गया है। इसलिए उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है।

(iii) पुनरीक्षणकर्ता पर दूकान बंद रखने, खाद्यान्न का वितरण नहीं करने एवं जाँच अधिकारी के समक्ष भंडार–पंजी, वितरण–पंजी प्रस्तुत नहीं करने का प्रमाणित आरोप है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14(xii) में स्पष्ट अंकित है कि ***अनुज्ञप्तिधारी अनुसूचि–08 में तथा उसका प्रतिनिधि अनुसूचि 09 में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा निर्गत पहचान पत्र रखेगा। अनुज्ञापन पदाधिकारी उचित मूल्य के दुकान के कारोबार मे सहायता करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी को एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति दे सकते है।*** निर्धारित अवधि में हर हाल में दुकान खुली रखना है। उक्त प्रावधान भी इसीलिए बनाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी को अपने दुकान से संबंधित कार्य यथा बैंक–ड्राफ्ट, खाद्यान्न का उठाव, विभागीय बैठक तथा कोई आवश्यक कार्य आ जाने पर उनके प्रतिनिधि (अनुज्ञप्तिधारी के) उपस्थित रहे एवं उपभोक्ताओं को किसी तरह असुविधा न हो। इसलिए उनका यह दावा भी मान्य नहीं हो सकता है।

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 14(i) में अंकित है कि ***"अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्ड धारक को लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उसकी हकदारी के अनुसार खाद्यान्नों एवं अन्य वस्तुओं का वितरण विहित खुदरा मूल्य पर करेगा एवं उसके द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं को उसकी हकदारी के अनुसार देने से इन्कार नहीं करेगा।"***

इस प्रकार निर्धारित अवधि में दुकान बंद रखना,

WEB COPY NOT OFFICIAL

	खाद्यान्न का वितरण नहीं करना एवं जाँच अधिकारी के समक्ष भंडार–पंजी, वितरण–पंजी प्रस्तुत नहीं करने जैसा कृत्य बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण), 2016 के नियम 14 (i), (viii), (xii) एवं 25 (i) (क) के प्रतिकूल है । उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए इस पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।* **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL